No. 27/1/2015E.III/555 Dated 30September, 2020 FORM T.R. 24 (See Rule 272) Periodical Increment Certificate

यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवकों ने इस आधार पर कि वे विनिर्दिष्ट पदों को स्तम्भ 5 में दर्शित तारीख से कम से कम एक वर्ष तक धारण कर चुके हैं, स्तम्भ 6 में दी गई तारीख से विहित कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर ली हैं । वेतन वृद्धि के लिए संगणना में न ली जाने वाली कार्य से अनुपरिथिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपरिथिति आदि की अविधयां इसमें से काट ली गई है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि से तक और तक और से तक ली गई छुट्टी की जिस अविध या जिन अविधयों की विपरीत पृष्ठ पर दिये गये स्थानापन्न सरकारी सेवक/सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है, उसके/उनके दौरान, वह/वे सरकारी सेवक उसी / उन्हीं पद / पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते यदि वह / वे छुट्टी पर नहीं जाता / जाते ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिये विवरणानुसार सरकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गये कारण से उल्लिखित तारीख से कालिक वेतन वृद्धियां उपार्जित कर चुका है / कर

चुक ह S. No	Name of the Officer substant ive or officiatin		Level of pay Matrix	Present Basic Pay Rs.	Date from which present pay is drawn	Date of present increment	Future Basic Pay Rs.	Absence from duty not counting for increment		Leave without pay and in the case of those including the posts in the officiating capacity all other kinds of leave during which he/they would not have continued to officiating in the posts.	
		g						From	То	From	То
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gaurav Agarwal	Sub.	Level-10 (Rs. 56100-1,77,500)	56,100	21-10- 2019	01-07- 2020	57,800				
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						-		-

Annual increment is granted w.e.f 6.8.2020 as he was on leave with medical certificate from 08-06-2020 to 05-08-2020 vide CWC Office Order No. 1/68/2019-Estt III/522-25 dated 23rd September, 2020

Note:

1. When the increment claimed is the first to carry a Government Servant over an efficiency bar, columns 5,6 and 7 Should be filed up in red in.

2. The figure (1) or (2) should be placed against each name according as the certificate(1) or (2) applies. The explanatory memorandum should be

submitted in any case in which certificate (2) applies.

(SEEMA JUNEJA) SECTION OFFICER

To,

PAO, CWC, New Delhi.

Copy to

1. Director, IP(south) Dte. CWC, New Delhi w.r.t letter No. XXII/03/2018/IP(s)/322-23 dated 30-07-2020

2. Section Officer, A/Cs-III Section, CWC, New Delhi.

3. Shri Gaurav Agrawal, AD, CWC, Irrigation Planning (South), New Delhi.